Witness no.....01.....for.....आवेदक साक्षी.....Deposition taken the.....06.07.2023....day of....गुरूवार..... Witness's apparent age.....50 वर्ष.....

States on affirmation...शपथपूर्वक .....My name is.....केशव सिंह राजपूत Son/W of.....श्री गजाधर सिंह..... occupation.....कुछ नहीं..... address...कंटेक्ट्रर कालोनी सुपेला थाना सुपेला, जिला दुर्ग छ.ग.

समय 12.30 बजे,

साक्षी का शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 04 व्य.प्र.सं. दिनांक 19.06.2023 प्रस्तुत किया है, जिसमें कंडिका कं. 01 से 04 तक है। आज दिनांक को साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर परीक्षण प्रारंभ किया गया।

<u>परीक्षण द्वारा श्री तोलेन्द्र बघमार अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण</u>

05. उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुम्हारी जिला दुर्ग में हुआ था जिससे संबंधित दाण्डिक प्रकरण की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किया हैं। अंतिम प्रतिवेदन **प्र0पी0—01,** प्रथम सूचना पत्र **प्र0पी0—02,** अपराध विवरण फार्म **प्र0पी0—03,** शव परीक्षण रिपोर्ट **प्र0पी0—04,** संपत्ति जप्ती पत्रक **प्र0पी0—05 एवं 06,** गिरफ्तारी पत्रक **प्र0पी0—07** पेश किया हूॅ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री वरूण कुमार मिश्रा अधिवक्ता वास्ते अनावेदक कं0 1 व 2</u>

06. यह कहना गलत है कि लापरवाही पूर्वक गाड़ी मेरा पुत्र चला रहा था। यह कहना गलत है कि मेरे पुत्र के पास गाड़ी चलाने हेतु लायसेंस नही था। यह कहना सही है कि मेरे पुत्र की आय के संबंध में दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नही किया हूॅ। यह कहना गलत है कि दुर्घटना दिनांक को मेरा पुत्र शराब पीकर एवं लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहा था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री शिशिर भण्डारकर अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रं. 3

07. मेरी उम्र 50 वर्ष हैं। मुझे कोई बीमारी नही हैं। मैं समय समय पर राजमिस्त्री का काम करने चला जाता हूॅ। मेरी मृतक मनीष के अलावा एक और पुत्री हैं। मेरी पुत्री मनीषा की उम्र 20 वर्ष हैं, वह आठवी कक्षा तक पढ़ी हैं। मृतक मनीष भी आठवी कक्षा तक पढ़ा था। साक्षी से मृतक की जन्म तारीख पूछने पर 07 जुलाई बताता हैं। जन्म का वर्ष आज मुझे याद नही हैं। यह कहना सही है कि मृतक की कक्षा आठवी की अंकसूची प्रस्तुत नही की गयी हैं। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा मृतक की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज जानबूझकर प्रस्तुत नही किया गया है क्योंकि मृतक की आयु लगभग 25–30 वर्ष के मध्य की थी।

08. मनीष का आधार कार्ड हैं। मृतक के पास दुर्घटना के समय उसका ड्रायविंग लायसेंस था। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में मृतक का ड्रायविंग लायसेंस प्रस्तुत नही किया गया हैं। मृतक जिस मोटर सायकल को दुर्घटना के समय चला रहा था वह उसकी स्वयं की थी। मेरे द्वारा दुर्घटनाग्रस्त मोटर सायकल मृतक के स्वयं के होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया हैं। यह कहना गलत है कि मृतक जिस मोटर सायकल को चला रहा था वह मेरे नाम की है इसलिए मैंने उसके स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया हैं।

09. यह कहना गलत है कि मैं स्वयं ही अपने परिवार का एक मात्र आय अर्जनकर्ता व्यक्ति हूॅ। यह कहना सही है कि मैं अपने पुत्र एवं पुत्री की स्कूल एवं पढ़ाई लिखायी का खर्च मैं स्वयं उठाता था। यह कहना सही है कि मैं अपनी स्वयं के आय से अपने बच्चो का खर्च उठाता था। मेरा बैंक खाता नहीं हैं। यह कहना सही है कि मैंने मृतक के नियोजन एवं आय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। यह कहना गलत है कि मृतक बेरोजगार युवक था इसलिए उसके नियोजन एवं आय के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया हूॅ।

10. यह कहना सही है कि मैंने दुर्घटना होते स्वयं नही देखा हूॅ। यह कहना सही है कि मैंने अपने शपथ पत्रीय साक्ष्य में मेरे पुत्र की मोटर सायकल रोड किनारे पेड़ से टकरा जाने के परिणामस्वरूप उसके सिर एवं अन्य हिस्सो में चोट आने का कथन किया हैं। साक्षी स्वतः कहा कि मैंने सुना था कि मृतक अपनी वाहन को सावधानीपूर्वक चलाते हुये जा रहा था जिसे किसी मोटर सायकल वाले ने पीछे आकर ठोकर मार दिया था जिसके परिणामस्वरूप वह पेड़ से टकरा गया था।

11. मैंने घटना स्थल को स्वयं जाकर नही देखा था। यह कहना गलत है कि दुर्घटना को पूर्णरूप से मनीष राजपूत द्वारा अपने मोटर सायकल तेली व लापरवाही पूर्वक चलाकर स्वयं पेड़ टकरा जाने के कारण घटित हुई थी जिसमें अन्य किसी मोटर सायकल की संलिप्तता नही थी इसलिए उक्त दुर्घटना के संबंध में झूठी रिपोर्ट घटना की रिपोर्ट लगभग 07 माह पश्चात दर्ज करायी गयी हैं। यह कहना गलत है कि क्षतिपूर्ति के लालच में आज मैं सही बात नही बता रहा हूॅ।

समाप्त, 12.55 बजे।

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।

सही होना स्वीकार किया ।

सही/–
(श्रीमती विभा पाण्डेय)
चतुर्थदश अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया ।

सही/–
(श्रीमती विभा पाण्डेय)
चतुर्थदश अपरमोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
रायपुर (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर .....